न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पीठासीन अधिकारी : श्री महीपाल सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं. 121/2022 निर्णय दिनांक : 08.01.24

1. रामसहाय पुत्र कल्याण सहाय चौधरी
2. बरजी देवी पत्नि रामसहाय चौधरी

समस्त जाति जाट, निवासी - ग्राम देवीसिंह पुरा तह. सांगानेर जिला - जयपुर

- प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र कल्याण
2. कान्ती देवी पत्नि बाबूलाल
3. सुरजा पुत्र गुल्ला
4. छीतर पुत्र गुल्ला
5. रामू पुत्र गुल्ला
6. गोपाल पुत्र गुल्ला

समस्त जाति जाट, निवासी - ग्राम देवीसिंहपुरा, तह. सांगानेर जिला जयपुर

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार बगरू तहसील सांगानेर जिला - जयपुर

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी धारा - 128 भू. राजस्व अधि.

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से मौजे ग्राम देवीसिंहपुरा, पटवार हलका अजयराजपुरा तह. सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 187/354 रकबा 0.0100 है. तथा [illegible] रकबा 0.0700 है. के सन्दर्भ में हस्तगत प्रार्थनापत्र पत्थ[illegible] अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधि. 1956 के [illegible] किया गया है कि उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण व [illegible] 1 व 2 की काश्तकाश्त शुदा, खातेदारी भूमि है। जिसका वि[illegible] सीमाज्ञान उपतहसीलदार बगरू के आदेश दिनांक 25.03.21 के अन्तर्गत दिनांक 13.05.22 को किया जाकर मौका चिह्नीकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Sing
Date: 2024.02.07 15:53:10 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

-- P.T.O.

कर सीमा चिन्ह कायम किए गए है, जो भविष्य में समाप्त हो सकते है तथा इसके अतिरिक्त पडोसी खातेदारान से भविष्य में सीमा चिन्हों का विवाद ना हो. इसलिए प्रार्थीगण सीमा विवाद के स्थाई निवारण हेतु अपनी भूमि की सीमाओं का स्थाई रूप से निर्धारण करवाना चाहते है। जिससे भविष्य में मौके पर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो तथा मौके पर पक्षकारान के मध्य शान्ति व्यवस्था कायम रह सके। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि आ.ख. नं. 222/355, 187/354 की पत्थरगढी करवाने बाबत हस्तगत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाबत पत्थरगढी की जाकर स्थाई सीमा चिन्ह अंकित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थीगण ~~के~~ एवं अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 के उक्त खसरा नं. 187/354 रकबा 0.01 हैक. के पूर्वी सीमा के खसरा नं. 222/314 है एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 खसरा नं. 222/355 रकबा 0.0700 है. के उत्तरी सीमा की ओर खसरा नं. 222 है एवं पूर्वी सीमा के 222/314 है। जिनके खातेदार अप्रार्थीगण सं. 03 लगायत 06 है। उक्त अप्रार्थीगण सं. 03 ता 06 पडोसी खातेदारो से भविष्य में सीमा चिन्ह। सीमा विवाद ना हो. इस हेतु प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 222/355 व खसरा नं. 187/354 की पत्थरगढी के उद्देश्य से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाबत आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह भी अभिकथन किया गया है कि अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 को अपेक्षित अनुतोष अधीन भूमि ख.नं. 222/355 एवं 187/354 के सहखातेदार मात्र होने से पक्षकार बनाया गया है (मूल रूप से कोई अनुतोष नहीं चाहा है) तथा अप्रार्थीगण 03 ता 06, जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 की उक्त खसरा नं. 222/355, 187/354 के पडोसी खातेदार है, को मूल रूप सीमा विवाद के अन्तर्गत होने से [illegible] गया है तथा अनुतोष अधीन भूमि खसरा नं. 187/354 [illegible] एवं पश्चिमी सीमा के पडोसी काश्तकारो [illegible] कारण पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा [illegible] के दक्षिण में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 की [illegible] खसरा नं. 187/354 है एवं उक्त खसरा नं. 222/355 के पश्चिमी सीमा के पडोसी काश्तकारो से भी सीमा विवाद नहीं होने के कारण पक्षकार नहीं बनाया गया है।

P. T. O...

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:10 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण (व अप्रार्थीगण सं. 01 व 02) की खातेदारी भूमि आ.ख.नं. 187/354 रकबा 0.0100 है., 222/355 रकबा 0.0700 है. वाके ग्राम देवीसिंहपुरा प. हलका अजयराजपुरा तह. सांगानेर जिला जयपुर की पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश पारित फरमाया जावे तथा पत्थरगढ़ी के समय विवाद की संभावना के दृष्टिगत पुलिस ईमदाद के जरिये पत्थरगढ़ी किए जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र के समर्थन / समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए हैं—

1. जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 की प्रति (प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1,2 की भूमि)
2. वाद ग्रस्त (?) आराजी की नक्शा प्रति।
3. अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की जमाबन्दी की प्रति। सम्वत् 2074-2077 (किता-3)
4. सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13/05/22 की प्रमाणित प्रति।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को उपस्थित होने व जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए। जिसके क्रम में अप्रार्थीगण 01 ता 06 के बावजूद उचित / प्राप्त रजि. नोटिस दिनांक 16/11/22 के उपस्थित नहीं होने पर नियमानुसार प्रक्रिया के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही के आदेश अप्रार्थीगण 01 ता 06 के विरुद्ध पारित किए गए। जिसके क्रम में तहसीलदार सांगानेर से वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में जवाब / तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार सांगानेर की ओर से जवाब / रिपोर्ट प्रस्तुत कर विवादित भूमि आ.ख.नं. 187/354 व 222/355 का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की [illegible] भूमि का विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 13.05.22 को [illegible] तस्दीक किया गया। इसके अतिरिक्त तहसीलदार [illegible] से किसी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति अथवा अन्य कोई अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके क्रम में प्रार्थीगण की अन्तिम बहस प्रार्थनापत्र (पत्थरगढ़ी) पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:10 IST
Reason: SelfAttested

--- P.T.O.

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

रामसहाय बनाम बाबूलाल व अन्य
प्रा. पत्र सं. 131/2022

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा तहसीलदार रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेजात के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थनापत्र के अधीन उल्लेखित भूमि आ. ख. नं. 187/354, 222/355 वाके ग्राम देवीसिंहपुरा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण क्र. 01, 02 की खातेदारी (सहखातेदारी) की कृषि भूमि है। जिसका विधिवत रूप से सीमाज्ञान भी पूर्व में किया गया है तथा अप्रार्थीगण 03 ता 06 की ओर से भूमि की पत्थरगढ़ी (प्रार्थी की) के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में जबकि उल्लेखित भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है तथा भूमि का विधिवत रूप से सीमाज्ञान भी पूर्व में किया जा चुका है तो प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी (सहखातेदारी) की भूमि की पत्थरगढ़ी के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः न्यायहित के दृष्टिगत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम देवीसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ. ख. नं. 187/354, 222/355 की सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार विधिवत पत्थरगढ़ी किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त हेतु शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो स्थानीय थानाधिकारी से समन्वय/सम्पर्क कर आदेशानुसार अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:10 IST
Reason: SelfAttested